

# कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी।

संख्या: 4817 / एस0टी0-कैम्प-2019

दिनांक: 13 अगस्त, 2019

क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,  
वाराणसी।

कृपया तहसीलदार, सदर, वाराणसी की आख्या दिनांक 10.08.2019 का अवलोकन करने का कष्ट करें जो महादेव महाविद्यालय, वरिसासनपुर, परगना जाल्हूपुर, तहसील सदर, जनपद वाराणसी को मान्यता दिये जाने से सम्बन्धित है।

अतएव उक्त आख्या की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि कृपया उक्त आख्या में उल्लिखित तथ्यों के दृष्टिगत अपनी तथ्यात्मक आख्या एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराये कि उक्त महाविद्यालय के नाम अभिलेखों में जमीन दर्ज न होने के बावजूद किस प्रकार मान्यता प्रदान की गयी है ?

  
( सुरेन्द्र सिंह )  
जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी।

महोदय, संलग्न प्रार्थना पत्र प्रार्थी राजेश्वरी सिंह पुत्र शांतीका-रा. सि. निवासी ग्राम. वरिधालन पु. परगना जील्हा पु. लखीमन सादर विनम्र वार्ता के माध्यम से निवासी है प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का पूर्व में रिपोर्ट अजी की चुकी है जिसकी दायिदारी साथ में संलग्न है

76

अतः रिपोर्ट लेवा के सादर प्रार्थित

मेहराज  
राजस्थान न्यायपालिका में डेप्युटी

कै. 19

आज्ञाकारी

राजस्थान निरीक्षण  
जालपुर

राजस्थान  
7-8-19

महोदय,  
प्रश्नगत प्रकरण के सन्दर्भ में पूर्व में जांच सारणी भेजी जा चुकी है आपसे सुलभ सन्दर्भ हेतु एक प्रति संलग्न रिपोर्ट है

  
रहस्यकारी  
10/08/19





4- प्राथिनी एक अभिलेखागार के प्रांत खतौनी 142 न्याय  
अधीन नं. 357, 358, 361, 362, 357, 394 भी जां करिया जन  
पुट परं. पाठुपुट लह. सद. जिला. वाराणसी संलग्न किया गया है पुनः  
उक्त फलकीलि प्रमाणित खतौनी तथा वर्तमान खतौनी नि दाख प्रति  
साथ में संलग्न किया जा रहा है, प्राथिनी उक्त खतौनी में  
जांच/जिलत क. फणी होने के लिये मैं सक्षम न्यायालय में  
वाप वापिल क. अनुमोद प्राप्त क. सकती हूँ।

अमेरुत वरिष्ठ लक्ष्य को प्रतिगत आख्या अवलोकनधि  
सेवा में साध प्रेषित। (19/11/19)